न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2022/156

दायरा तिथि : 04.05.2022

आदेश तिथि : 19-10-22

प्रार्थी :–

मांगीलाल पुत्र श्री लच्छीराम परिहार जाति मेघवाल
निवासी कोटबालियान तहसील बाली

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

1. पनेसिंह पुत्र नाथूसिंह
2. पनेसिंह पुत्र भानसिंह
3. नवलसिंह पुत्र नाथूसिंह जातिगण राव निवासी भीटवाडा
4. पाबूबाई पत्नी धन्नाराम
5. मोहनलाल पुत्र हकीया उर्फ हीराराम कुम्हार निवासीगण भीटवाडा
6. जीवा पुत्र लखमा जाति राईका
7. तेजाराम पुत्र शोभा जाति मेगवंशी
8. नाथीया पुत्र लखमा जाति राईका के कायम मुकाम
   (A) जमनोबाई पत्नी नाथीया जाति राईका
9. मनाराम पुत्र शोभा जाति मेगवंशी
10. मागीया पुत्र लखमा जाति राईका
11. मोतीराम पुत्र शोभा जाति मेगवंशी निवासीगण भीटवाडा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

दिनांक : 19-10-22

आदेश

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित सहखातेदारी भूमि मौजा ग्राम भीटवाडा तहसील बाली के खसरा नंबर 411 रकबा 0.6500 हैक्टर भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि ग्राम भीटवाडा तहसील बाली के खसरा नंबर 406 रकबा 0.5100 हैक्टर तथा खसरा नंबर 408 रकबा 0.7800 हैक्टर मेंसे नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, मोखमपुरा ने जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2022/2157 दिनांक 18.07.2022 से प्रस्तुत की। प्रस्तुत रिपोर्ट के संबंध में अप्रार्थी पाबूबाई के अधिवक्ता श्री अमृत परिहार द्वारा आपत्ति पेश करते हुये ग्राम भीटवाडा के खसरा नंबर 407 व 408 के बीच की माठ को मध्य बिन्दु रखते हुये उक्त दोनों खसरों में से रास्ता देने हेतु पुनः रिपोर्ट बाबत निवदेन किया गया। वकील अप्रार्थी के निवेदन पर तहसीलदार, बाली से पुनः जांच रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, मोखमपुरा ने जांच कर पुनः रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2022/2861 दिनांक 06.10.2022 से प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है किन्तु खसरा नंबर 408 में ज्वार की फसल बोई हुई है जिसका अनुमानित व्यय पूर्व में 2000/– रूपये बताया था व खसरा नंबर 407 व 408 के बीच में तारबंदी है। जिसका अनुमानित व्यय 26000/–रूपये है।

2. रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानूसार है :–

क्र. सं.	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर)	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार	फसल व तारबंदी अनुमानित व्यय
1	408	0.78	बा.अ.	104 X 2 = 208 वर्गमीटर	पाबू बाई पत्नी धनाराम	2000+13000=15000/ –रूपये
2	407	0.46	बा.अ.	104 X 2 = 208 वर्गमीटर	जीवा पुत्र लखमा राईका वगैरा	13000/–रूपये
3	406	0.51	बा.अ.	142 X 4 = 568 वर्गमीटर	पनेसिंह पुत्र नाथुसिंह राव वगैरा	–

3. यह है कि प्रस्तावित भूमि ग्राम भीटवाडा की डी.एल.सी.दर 149121/– रूपये प्रति हैक्टर है।

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

प्रकरण में खसरा नंबर 406 व 408 के खातेदारान तथा वकील अप्रार्थी के निवेदन पर खसरा नंबर 407 के खातेदार को भी पक्षकार बनाते हुये नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी पनेसिंह पुत्र नाथुसिंह व [illegible]सिंह पुत्र नाथुसिंह की तामील प्रोसेस सर्विस तथा रजिस्टर्ड डाक से नहीं होने के कारण सर्विस नोटिस दैनिक नवज्योति अखबार में छाया के बावजूद उक्त अप्रार्थीगण वकालतन/असालतन अनुपस्थित है। अप्रार्थी नाथीया व वदु को जारी नोटिस फौत होने की रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुये। अप्रार्थी नाथीया के वारिस जमनोबाई पत्नी नाथीया की ओर से अधिवक्ता श्री यशपालसिंह उपस्थित हुये तथा प्रार्थी को रास्ता दिये जाने हेतु सहमति व्यक्त की। समस्त बकाया अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के वकालतन/असालतन अनुपस्थित रहे है। लिहाजा उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वकुलाय की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण जाहिर हैं कि आवेदक की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम भीटवाडा पटवार हल्का, भीटवाडा तहसील बाली के खसरा नंबर 411 रकबा 0.6500 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि में आवागमन के लिये कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2022/2861 दिनांक 06.10.2022 से नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया है। धारा 251(ए) के तहत निकटतम रूट से रास्ता दिये जाने के प्रावधान हैं। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम भीटवाडा पटवार हल्का, भीटवाडा तहसील बाली के खसरा नंबर 411 रकबा 0.6500 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि **ग्राम** भीटवाडा पटवार हल्का, भीटवाडा तहसील बाली के खसरा नंबर 408, 407, 406 रकबा क्रमशः 0.7800, 0.4600, 0.5100 हैक्टर **मेंसे 208+208+568=984 वर्गमीटर रास्ता** नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

ख. न.	कुल क्षैत्रफल (हैक्टर)	रास्ते के लिए प्रभावित क्षैत्रफल	डीएलसी दर 149121/– रूपये प्रति हैक्टर की दर से (प्रति व. मी.)	वसूल देय प्रतिकर राशि(डी एलसी दर की दुगुनी)	नाम खातेदार	फसल व तारबंदी अनुमानित व्यय
408	0.78	104 X 2 = 208 वर्गमीटर	15	3120X2 =6240	पाबू बाई पत्नि धनाराम हिस्सापूर्ण - देह खातेदार .कुम्हार सा -जाति,	2000+13000= 15000/–रूपये
407	0.46	104 X 2 = 208 वर्गमीटर	15	3120X2 =6240	1. जीवा पुत्र लखमा हिस्सा- 1/6 जाति- राईका सा. देह खातेदार 2. तेजाराम पुत्र शोभा हिस्सा- 1/6 जाति- मेगवंशी सा. देह खातेदार 3. नाथीया पुत्र लखमा जाति राईका के वारिस :- जमनोबाई पत्नी नाथीया हि. 1/6 सा. देह खातेदार 4. मनाराम पुत्र शोभा हिस्सा- 1/6 जाति- मेगवंशी सा. देह खातेदार 5. मागीया पुत्र लखमा हिस्सा- 1/6 जाति- राईका सा. देह खातेदार 6. मोतीराम पुत्र शोभा हिस्सा- 1/6 जाति- मेगवंशी सा. देह खातेदार	13000/–रूपये
406	0.51	142 X 4 = 568 वर्गमीटर	15	8520X2 =17040	1. पनेसिंह पुत्र नाथूसिंह हिस्सा- 1/4 जाति- राव सा. देह खातेदार 2. पनेसिंह राजावत पुत्र भानसिंह हिस्सा- 1/2 जाति- राव सा. देह खातेदार 3. पनेसिंह राजावत पुत्र भानसिंह जी हिस्सा- 1/4 जाति- राव सा. देह खातेदार	–

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बाली जिला पाली (राज.)

		कुल रकबा 208+208+568 = 984 वर्गमीटर		कुल राशि 6240+ 6240+ 17040= 29520/ –रूपये		कुल राशि 15000+ 13000= 28000/– रूपये

प्रस्तावित रास्ता में निजी खातेदार की प्रतिकर राशि **29520/– अक्षरे उनतीस हजार पांच सौ बीस रूपये** तथा फसल व तारबंदी अनुमानित व्यय **28000/–अक्षरे अठाइस हजार रूपये मात्र** आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर प्रभावित खातेदार को अदा की जावेगी। तहसीलदार, बाली व निरीक्षक भू0अ0 मौखमपुरा द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जावेगा। प्रभावित खातेदार द्वारा प्रतिकर राशि नहीं लिये जाने की दशा में आवेदक द्वारा नियमानुसार राशि तहसील कार्यालय बाली मे जमा कराई जायेगी।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

([illegible])
उपखण्ड अधिकारी
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली
बाली, जिला-पाली (राज.)

दिनांक : 19-10-22

क्रमांक/[illegible]/2022/3689-93

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 मौखमपुरा
3. पटवारी हल्का, भीटवाडा
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्री मांगीलाल पुत्र श्री लच्छीराम परिहार जाति मेघवाल निवासी कोटबालियान तहसील बाली को सूचनार्थ।

[illegible] एवं
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, बाली
बाली, जिला-पाली (राज.)